



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में 02 आरोपियों को 30 वर्ष सश्रम कारावास व 25-25 हजार (कूल 50 हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 18.05.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में 02 आरोपियों को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 02.03.2018 को अभियुक्तगण 1. रिजवान पुत्र शेर मौहम्मद व 2. जीशान पुत्र उमर मौहम्मद निवासी गण ग्राम सैना थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ द्वारा नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पर मु0अ0सं0 61/2018 धारा 323, 354क, 376डी, 506 भादवि व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 06.04.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया
- आज दिनांक 18.05.2026 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल/पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा 30 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 अनीस अहमद एवं पैरोकार का0 अनुज कुमार व कोर्ट मोहरीर है0का0 प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।

